

सं.3/42/2013-एसडी/एएम  
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र  
सूत्रधार प्रभाग  
जनपथ, नई दिल्ली

दिनांक : 24 फरवरी, 2014

**विषय: नियमित रिक्तियों पर अनुबंध के आधार पर काम पर लगाए गए शैक्षिक/ तकनीकी कार्मिकों की भर्ती/नियुक्ति की शर्तें।**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के भर्ती नियमों में नियमित रिक्तियों पर अनुबंध के आधार पर शैक्षिक/तकनीकी कार्मिकों की भर्ती/नियुक्ति का प्रावधान है। अनुबंध के आधार पर काम पर लगाए गए कार्मिकों की सेवा की शर्तें एकसमान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें तय करने का निर्णय लिया गया है:

**1. कार्यकाल:**

- (i) शुरू में काम पर लगाए जाने की अवधि दो वर्ष होगी, जिसके अंत में संबंधित कार्मिकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा/मूल्यांकन किया जाएगा। यह समीक्षा/ मूल्यांकन एक विधिवत गठित समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र होंगे और इनमें संबंधित क्षेत्र (डोमेन) के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे (जिन्हें भर्ती नियमों में परिभाषित किया गया है) और समग्र कार्य-निष्पादन की ऐसी समीक्षा/ मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर संबंधित कार्मिक के कार्य की अवधि अगले तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। उपर्युक्त समिति की समीक्षा/ मूल्यांकन अंतिम होगा। इसके पश्चात उपर्युक्त समीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर ही प्रत्येक बार यह अवधि पांच वर्ष तक और बढ़ाई जाएगी।
- (ii) अनुबंध के आधार पर काम पर लगाए गए व्यक्ति का कार्यकाल नियमित नियुक्ति के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा और अनुबंध के आधार पर

नियुक्त व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नियमित रोज़गार का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

- (iii) उपर्युक्त उप खंड (i) से (ii) में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति का अनुबंध उपर्युक्त खंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य पर लगाने की अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी, बशर्ते कि उसे विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से आगे न बढ़ाया गया हो।

## 2. अन्य शर्तें:

- (i) अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्ति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के नियमित कर्मचारियों के अनुरूप स्तर/पद को उपलब्ध वेतन और भत्तों के बराबर वेतन और छुट्टियों, अंशदायी भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा।
- (ii) अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्ति निर्धारित वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के फार्मेट में अवधि विशेष या वर्ष के लिए तय किए गए लक्ष्यों के अनुसार अपने द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या ऐसी रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा के अंदर शैक्षिक कार्मिकों के लिए निर्धारित की जाएगी।
- (iii) अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्ति अपनी सेवा के अनुबंध की अवधि के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की निष्ठापूर्वक सेवा करेगा और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लक्ष्यों और उद्देश्यों के उन्नयन और सुधार करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने, निष्पादित करने, संचालित करने, आयोजित करने के लिए ईमानदारी और परिश्रम से हमेशा अपने समय और ऊर्जा को लगाएगा और ऐसी सभी सेवाएं, कार्य, कृत्य और बातें भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर करेगा और निष्पादित करेगा, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव द्वारा उन्हें समय-समय पर सौंपी जाएं।

- (iv) अनुबंध के आधार पर कार्यरत व्यक्ति समय-समय पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अन्य कर्मचारियों पर लागू नियमों और आचरण से आबद्ध होगा। यदि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के नियमित कर्मचारियों पर लागू अनुशासनिक नियमों के अनुसार उसने कोई ऐसी भूल-चूक का कृत्य किया हो, जो कदाचार समझा जाए, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

ह./- जयंत कुमार रे  
निदेशक (प्रशासन)

सभी विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- (क) सदस्य सचिव के निजी सचिव।  
(ख) संयुक्त सचिव के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक।  
(ग) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी।  
(घ) स्थापना अनुभाग।